"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269] रायपुर, शनिवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2002—कार्तिक, 4 शक 1924

राजस्व विभाग

मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ शासन

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2002

अधिसूचना

क्रमांकजी.बी. 2/मुद्रण/(37)/छ.मे.नियं.अनु./2002-2003/906/सी.चार..—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नियमों का अनुकूलन आदेश, 2000 है.

(2) यह नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथासंशोधित ऐसी नियम जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित की जाती है तथा प्रवृत्त रहेंगी जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त नियमों/संहिता में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों या उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररुप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	नियमों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश लेखन सामग्री खरीद नियम, 1957
2.	मध्यप्रदेश रूल्स फार डेप्रिसिऐशन फण्ड गव्हरमेन्ट प्रेस, 1956

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 26th October 2002

NOTIFICATION

No. G.B. 2/Priting/(37)/छ.मे.नियं.अनु./2002-2003/906/सी.चार..—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDERS

1. (i) This order may be called the adaptation of Rules/Code order, 2000 (No. 28 of 2000).

   (ii) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The Rules as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modifications that in all the Rules for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Rules specified in the Schedule shall continue to be inforce in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Rules (2)
1.	Madhya Pradesh Lekhan Samagri Kharid Niyam, 1957.
2.	Madhya Pradesh Rules for Depreciation Fund in the Government Press, 1956.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.